अनुसूची 21—नियम सं० 113

2435 6/7/V

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19..... आवेदन सं० 9070 dt 06/7/2019 19

मुझे/से Bibi D Tribedi s/o late B.P. tribedi

मैं मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवधारों का संक्षिप्त प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये कथन के अनुसार विवरण दें।)

आवेदक/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों से प्रकट होता है कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में नहीं के सीमा शुल्क अधिनियम के धारा 2005 to Till dt धारा 19

तथा जानकारी और मेरी जानकारी के यावत निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला: As per index II

यथा है अब: सम्पत्ति अवभार से मुक्त है/

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और पृष्ठांकन	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के पृ० निकाले		
				निष्पादक	दावेदार	लिखत	पर्ची	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza- Rustampur shahpur @ Sikandarpur P.S.- Danapur P.S. No- 17 Khata No- 85 Tauzi No- 5833 Plot No- 182 Distt.- Patna Area- 10 katha 10dhur							

[illegible] विवरण दर्ज करें।

[illegible] खाता की पर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। यदि यह उपरि पर है उल्लेख हो।

[illegible] पहले की अवधि और वार्षिक रखरखाव दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): B

(पदनाम): UD-C

तलाशी का संव्यवहार और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): [illegible]

(पदनाम): [illegible]

स्थानः Danapur

तारीख: 6/7/19

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर (पटना)

6/7/19

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बाहयीं) और अनुक्रमाणियाँ (इन्डेन्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बाहयीं और अनुक्रमाणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद हुये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा छूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 8323 E/19 दिनांक

आवेदक श्री Bipin Tribedi W/o late B.P. Tribedi

का अवभार प्रमाण-पत्र हेतु SBI, RACPC, Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

6/7/19

SCL-109/99-2,00,000